

सावधान: कहीं आप भी अपने बच्चों को खतरनाक और हानिकारक खिलौने तो नहीं दे रहे

ज्ञात हो कि खिलौनों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनिवार्य पंजीकरण श्रेणी में रखा गया है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 के तहत आईएसआई मार्क लगाना जरूरी होता है, इसी के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), गाजियाबाद शाखा कार्यालय के शाखा प्रमुख श्री कुमार अनिलेप जी के नेतृत्व में गठित अधिकारियों की एक टीम ने 5 जुलाई, 2024 को दुकान संख्या ड-109, टॉय जॉय, प्रताप ग्रांड सिटी पार्क कानौशवा, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद में एक प्रदर्शन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पाया गया कि दुकान

में इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक खिलौनों का, भंडारण और विक्री किया जा रहा था।



का उल्लंघन है। बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17(1)(ए) का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास या न्यूनतम 2,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। दुकान से मिले 100 से अधिक खिलौने को जप्त कर सुपरदारी

में रखा गया है और साक्ष्य के रूप में कुछ खिलौने अपने साथ शाखा ले गए। इस अपराध के लिए माननीय न्यायालय में मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

इस छापेमारी में भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा के संयुक्त निदेशक श्री नवीन कुमार अरोड़ा, उप निदेशक श्री हरिओम मीणा, प्रेजुएट इंजीनियर श्री महेश कुमार, राजू प्रजापति, सुरज कुमार शामिल थे, जिन्हें गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की सहयोग मिला और सवके प्रयास से छापेमारी सफल रही।

अंत में शाखा प्रमुख ने बताया कि गाजियाबाद शाखा द्वारा चलाए जा रहे उपभोक्ता जागरूकता अभियान से

उपभोक्ता जागरूक और सजग हुए हैं, और किसी भी तरह की जगह या अनिवार्य लाइसेंस के उल्लंघन की शिकायत करने हैं, भारतीय मानक ब्यूरो सभी उपभोक्ताओं को बीआईएस केयर ऐप (मोबाइल एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में उपलब्ध) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि बीआईएस प्रमाणित अनिवार्य उत्पादों की सूची का पता लगाया जा सके और यह भी अनुशेष किया जाता है कि खरीद से पहले बीआईएस केयर ऐप या वेबसाइट <http://www.bis.gov.in> पर जाकर उत्पाद पर आईएसआई मार्क की यथार्थता की जांच करें। नागरिकों से अनुरोध है कि यदि उन्हें ऐसा कोई

मामला नजर आए, जहाँ अनिवार्य उत्पाद बिना इकर प्रमाणन के बेचे जा रहे हों, या जहाँ किसी उत्पाद पर कक मार्क का दुरुपयोग हो रहा हो, तो इसकी सूचना पर ई-मेल द्वारा भी की जा सकती है। ऐसी जानकारी का स्रोत गोपनीय रखा जाएगा। बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे सामान का निर्माण, आयात, वितरण, विक्री, किराए पर लेना, पट्टे पर देना, भंडारण या विक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा, जो अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 के अंतर्गत आता है।

Over 100 Non-Certified Toys Seized in Ghaziabad BIS Raid : Know Here

BV Correspondent, New Delhi.

An enforcement search was conducted at shop number C-109, Toy Joy, Prateek Grand City Walk, Ganesa, Siddharth Vihar, Ghaziabad, by representatives from the BIS Ghaziabad Branch Office on July 5. The Bureau of Indian Standards (BIS) recognizes that toys are required to be registered, and the Quality Control Order 2020 stipulates that toys must have the ISI mark.

The team acted swiftly upon receiving information regarding violations of this requirement. It was discovered that the shop was keeping and selling both electric and non-electric toys during the raid. According to IS 15644:2006 and IS 9873:2019 Part 1, the toys were not BIS certified, which is in violation of Toys (Mandatory Registration Requirement) Quality Control Order 2020. The BIS Act of 2016's Section 17(1)(A) stipulates a maximum term of two years in prison, a minimum fine of ₹2,00,000, or both. More than 100 toys were taken from the shop and put under guard; some were brought to the



branch office for use as evidence. A case is being filed for this violation in the honorable court. Legal proceedings are being initiated. Mr. Naveen Kumar Arora, Joint Director of the BIS Ghaziabad Branch; Mr. Hariom Meena, Deputy Director; Mr.

Rahul Kumar, Graduate Engineer; Raju Prajapati, and Suraj Kumar were all involved in the raid. The Ghaziabad Police Administration helped them, and their combined efforts made the raid a success. The Branch Head concluded by

stating that the Ghaziabad Branch's consumer awareness program has increased consumer knowledge and vigilance, encouraging people to report any fraud or violations of required licenses. For the purpose of locating the list of BIS-certified necessary products, the Bureau of Indian Standards recommends all customers utilize the BIS Care App, which is accessible on both Android and iOS platforms. Before making a purchase, customers are also asked to confirm the legitimacy of the ISI mark on products by using the BIS Care App or going to the website <http://www.bis.gov.in>. The public is asked to report any cases in which required products are being offered without a BIS certification or where the ISI mark is being improperly utilized. You can accomplish this by contacting gzbo@bis.gov.in or using the BIS Care App. The identity of the information provider will remain confidential. According to the BIS Act of 2016, no one may manufacture, import, distribute, sell, rent, lease, store, or display goods for sale if they must be registered in accordance with the Quality Control Order of 2020.



सावधान: कहीं आप भी अपने बच्चों को खतरनाक और हानिकारक खिलौने तो नहीं दे रहे

नई दिल्ली, (आरएनएस)। खिलौनें को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनिवार्य पंजीकरण श्रेणी में रखा गया है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 के तहत आईएसआई मार्क लगाना जरूरी होता है, इसी के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), खंजवाबाद शहड़ा कार्यालय के शहड़ा प्रमुख श्री कुमार अनिल जी के नेतृत्व में गैरकानूनी अधिकारियों को एक टीम ने 5 जुलाई, 2024 को दुकान मंडला C- 109, टीप जीप, प्रतेक ग्रैंड सिटी लैंक कार्पोरेशन, सिद्धार्थ चौरा, खंजवाबाद में एक प्रवर्तन अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पाया गया कि दुकान में इलेक्ट्रिक



और नोन इलेक्ट्रिक खिलौनें का, भंडारण और बिक्री किया जा रहा था। खिलौनें IS 15644:2006 और IS 9873 :2019 part 1 के अनुसार बीआईएस प्रमाणित नहीं थे, जो खिलौनें (अनिवार्य पंजीकरण को आवश्यकता) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 का उल्लंघन है। बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17(1)(ए) का उल्लंघन करने

पर दो वर्ष तक का कारावास या न्यूनतम 2,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा दे सकते हैं। दुकान में मिले 100 से अधिक खिलौनें को जब्त कर सुराखों में रखा गया है और मासिक के रूप में कुछ खिलौनें अपने साथ शहड़ा ले गए। इस अपराध के लिए माननीय न्यायालय में मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस छापेमारी में भारतीय मानक ब्यूरो खंजवाबाद शहड़ा के संयुक्त निदेशक श्री नवीन कुमार अरोड़ा, उप निदेशक श्री रविशंकर मीणा, हेडक्वार्टर इंजीनियर श्री हनुम कुमार, सानू प्रजापति, मुरत कुमार शामिल थे, जिन्होंने खंजवाबाद पुलिस प्रशासन को सहयोग मिला और सबके प्रयास से छापेमारी सफल

रही। अंत में शहड़ा प्रमुख ने बताया कि खंजवाबाद शहड़ा द्वारा सतार जा रहे उपभोक्ता जागरूकता अभियान में उपभोक्ता जागरूक और सजग हुए हैं, और किसी भी तरह की छद्म या अनिवार्य लक्ष्यों के उल्लंघन की शिकायत करते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो सभी उपभोक्ताओं को बीआईएस केयर ऐप (मेकएल एंडुइड और आईओएम दोनों में उपलब्ध) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि बीआईएस प्रमाणित अनिवार्य उत्पादों की सूची का पता लगाया जा सके और यह भी अनुरोध किया जाता है कि खरीद से पहले बीआईएस केयर एप या वेबसाइट <http://www.bis.gov.in> पर खरब उत्पाद पर आईएसआई मार्क की

वास्तविकता की जांच करें। नागरिकों में अनुरोध है कि यदि उन्हें ऐसा कोई मामला नजर आए, जहाँ अनिवार्य उत्पाद बिना BIS प्रमाण के बेचे जा रहे हों, या जहाँ किसी उत्पाद पर ISI मार्क का दुरुपयोग हो रहा हो, तो इसकी सूचना BIS care app या gzbo@bis.gov.in पर ई-मेल द्वारा भी की जा सकती है। ऐसी जानकारी का स्रोत गोपनीय रखा जाएगा। बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे मामले का निर्माण, आपात, क्लरिंग, बिक्री, किचर पर लेना, पट्टे पर देना, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा, जो अनिवार्य पंजीकरण को आवश्यकता, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 के अंतर्गत आता है।

छापेमारी कर 100 से ज्यादा खिलौने किए जब्त

जासं, साहिवावाद : सिद्धार्थ विहार में मानक के विपरीत बने खिलौने बेचने वाली दुकान पर शनिवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने छापेमारी कर 100 से ज्यादा खिलौने जब्त किए। इससे बच्चों की सेहत खराब होने का खतरा रहता है। बीआईएस को दुकान संख्या सी-109, टाय जाय दुकान, प्रतीक ग्रैंड सिटी वाक कार्नेशिया, सिद्धार्थ विहार में नकली खिलौने विक्री होने की सूचना मिली थी। बीआईएस संयुक्त निदेशक नवीन कुमार अरोड़ा, उप निदेशक हरिओम मोणा, राहुल कुमार, राजू प्रजापति, सूरज कुमार की टीम ने दुकान पर छापेमारी की। बिना मानक के बने खिलौनों से बच्चों की सेहत खराब हो सकती है। रिसाइकिल प्लास्टिक से



बीआईएस टीम द्वारा फर्जी खिलौने की फैक्ट्री से बरामद खिलौने • सोबीअइएस

बने सभी खिलौने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। इसमें डायोक्सीन रसायन उच्च मात्रा में होता है। रिसाइकिल प्लास्टिक के उत्पादों खासकर खिलौनों में तो इसे नियंत्रित करना जरूरी होता है। रिसाइकिल

किए गए प्लास्टिक में इसकी मात्रा निर्धारण के लिए कोई मानक तय नहीं है। जब बच्चे इन खिलौनों से खेलते हुए उसे मुंह में लेते हैं तो रसायन शरीर में चला जाता है। इससे बच्चों के दिमागी विकास, रोग प्रतिरोधक

क्षमता, थायराइड सिस्टम को प्रभावित करने, डायोक्सीन कैंसर का कारण बन सकते हैं।

आरोपित एक वर्ष से बेच रहा था खिलौने: बीआईएस को पता चला है कि आरोपित एक वर्ष से इस तरह के खिलौने बेच रहा था। बीआईएस टीम को यह पता नहीं चला है कि आखिर यह खिलौने बन कहां रहे थे? बीआईएस शाखा प्रमुख कुमार अनिमेष ने बताया कि यदि खिलौनों पर आईएसआई मार्क नहीं है तो खिलौने पर नंबर लिखा गया है। इस पर को आईआईएस केयर एप पर डालकर देख सकते हैं। इससे उसके असली-नकली होने का पता चल जाएगा। बीआईएस केयर एप पर ही आप शिकायत भी कर सकते हैं।